



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166333

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 31992 वर्ष 2006

वाद संख्या 035023656 – आरक्षी भर्ती चंद्रेश्वर प्रसाद यादवयाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, लोदी रोड, नई दिल्ली एवं अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 34

(एस.एन. 1)

माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता,

“सिविल विविध विलंब क्षमा आवेदन संख्या 360304 वर्ष 2015 तथा सिविल विविध पुनर्विलोकन/पुनर्स्थापन आवेदन संख्या 360306 वर्ष 2015 पर आदेश”

1. याचिकाकर्ता-आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम शरण श्रीवास्तव तथा प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश सिंह को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वर्तमान पुनर्स्थापन आवेदन याचिकाकर्ता-आवेदक द्वारा दाखिल किया गया है, क्योंकि दिनांक 28.04.2014 को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके थे, जिसके कारण रिट याचिका को निष्फल मानते हुए निरस्त कर दिया गया था।
3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पूर्व अधिवक्ता, अर्थात् कर्नल अशोक कुमार, जो याचिकाकर्ता-आवेदक की ओर से पैरवी कर रहे थे, वर्तमान मामले में नियुक्ति के पश्चात् अपना अधिवक्ता व्यवसाय सशस्त्र बल अधिकरण, लखनऊ में करने लगे थे। ऐसी स्थिति में दिनांक 28.04.2014 को याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हो सका और चूंकि याचिकाकर्ता को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी, अतः जब याचिकाकर्ता मामले की जानकारी करने के लिए आया, तब उसे ज्ञात हुआ कि याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता कर्नल अशोक कुमार अपना अधिवक्ता व्यवसाय पहले ही स्थानांतरित कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में, इसके तुरंत बाद वर्तमान पुनर्स्थापन आवेदन, विलंब क्षमा आवेदन के साथ दाखिल किया गया।
4. ऐसी स्थिति में, पुनर्स्थापन आवेदन दाखिल किए जाने में हुए विलंब को **क्षमा** किया जाता है। विलंब क्षमा आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दिनांक 28.04.2014 को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के लिए दर्शाया गया कारण पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में, वर्तमान पुनर्स्थापन आवेदन भी **स्वीकार** किया जाता है।
6. रिट याचिका को उसके मूल संख्या पर पुनर्स्थापित किया जाता है।

रिट याचिका पर आदेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए मौखिक अनुरोध पर, उन्हें प्रार्थनाओं में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है, ताकि दिनांक 23.06.2004 के नोटिस के साथ-साथ दिनांक 05.08.2004 के सेवा-समाप्ति आदेश को भी चुनौती दी जा सके, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं दिनांक 30.07.2004 से समाप्त कर दी गई थीं, तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को भी चुनौती दी जा सके।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:

(i) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देशित किया जाए कि वह याचिकाकर्ता की सेवा को निरंतर मानते हुए उसे सभी परिणामी लाभों सहित सेवा में जारी रखे।

(ii) अभिलेख तलब करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी की जाए तथा महानिरीक्षक-पी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा दिनांक 27.02.2006 को पारित आक्षेपित अस्वीकृति आदेश एवं पुनरीक्षण याचिका को दिनांक 27.04.2006 के आदेश द्वारा अस्वीकृत किए जाने संबंधी संक्षिप्त आदेश को निरस्त किया जाए तथा याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं। साथ ही, दिनांक 23.06.2004, 30.07.2004, 27.02.2006 एवं 27.04.2006 के आदेशों को भी निरस्त किया जाए।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता की भर्ती दिनांक 10.06.2003 को आरक्षी (सामान्य ड्यूटी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ग्रुप सेंटर इलाहाबाद के पद पर हुई थी। याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 05.07.1984 थी। ग्रुप सेंटर इलाहाबाद में भर्ती के पश्चात्

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण हेतु ग्रुप सेंटर हैदराबाद तथा तत्पश्चात् अस्थायी सेवा में आर.टी.सी.-IV (जम्मू एवं कश्मीर), श्रीनगर भेजा गया। याचिकाकर्ता के चरित्र सत्यापन के दौरान जिलाधिकारी, आजमगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 427, 323, 504 एवं 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 186ए वर्ष 2001 पंजीकृत था। प्राधिकारियों द्वारा यह भी पाया गया कि याचिकाकर्ता ने अपने चरित्र सत्यापन प्रपत्र में उक्त आपराधिक मामले का उल्लेख नहीं किया था। इसके अनुपालन में, केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5(1) के अनुसार याचिकाकर्ता को नोटिस दिए जाने के पश्चात् दिनांक 05.08.2004 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं दिनांक 30.07.2004 से समाप्त कर दी गईं और नोटिस की अवधि समाप्त होने पर याचिकाकर्ता की सेवाएं दिनांक 30.07.2004 से समाप्त मानी गईं।
4. याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त किए जाने से क्षुब्ध होकर, याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.04.2005 को महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, 10वां सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता की उक्त अपील भी दिनांक 27.02.2006 के आदेश द्वारा निरस्त कर दी गई।
5. तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने सी.सी.एस. पुलिस बल नियमावली, 1955 के नियम 29 के अंतर्गत वैधानिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। पुनरीक्षण याचिका में याचिकाकर्ता ने पैरा 2(के) तथा पैरा 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उसे उपर्युक्त मामले में पहले ही दोषमुक्त/उन्मोचित किया जा चुका है तथा दिनांक 28.02.2005 के निर्णय की प्रति भी पुनरीक्षण याचिका के साथ संलग्न की गई थी। तथापि, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 27.04.2006 के आक्षेपित आदेश द्वारा पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी और उक्त

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आक्षेपित आदेश में पुनरीक्षण प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस तर्क पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 28.02.2005 के आदेश द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। न ही पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा उक्त दोषमुक्ति के प्रभाव पर कोई विचार किया गया और पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गई। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।

6. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 03.09.2001 की घटना के संबंध में याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिनांक 15.09.2001 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के समय याचिकाकर्ता नाबालिग/किशोर था। फलतः, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 19 एवं 21 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियमावली, 2007 के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, किसी किशोर के विरुद्ध आपराधिक मामले का लंबित होना लोक सेवा में उसकी नियुक्ति के लिए कोई महत्व नहीं रखता है और इसके आधार पर उसकी भर्ती निरस्त नहीं की जा सकती। यहां तक कि किशोर के विरुद्ध आपराधिक मामले का लंबित होना भी भर्ती के प्रयोजनार्थ अयोग्यता नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी के किशोरावस्था संबंधी अभिलेखों को उसके वयस्क हो जाने तथा सेवा में भर्ती हो जाने के पश्चात् उसके संबंध में नहीं देखा जा सकता है।

7. इस संबंध में, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **शिवम मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 2152** में दिए गए निर्णय, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उमेश चंद्र यादव बनाम निरीक्षक महानिरीक्षक एवं मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली (सिविल अपील संख्या 1964 वर्ष 2022, जो विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 871 वर्ष**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2017 से उद्भूत है) दिनांक 02.03.2022 में दिए गए निर्णय, इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा *अभिषेक कुमार यादव बनाम भारत संघ एवं अन्य*, [2022 (6) एडीजे 564] में दिए गए निर्णय, इस न्यायालय द्वारा *राहुल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (रिट-ए संख्या 7151 वर्ष 2011)*, दिनांक 17.08.2021 में दिए गए निर्णय तथा *संदीप यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (रिट-ए संख्या 1282 वर्ष 2019)*, दिनांक 06.10.2021 में दिए गए निर्णय और *अजय कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य (रिट-ए संख्या 5173 वर्ष 2019)* में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। *शिवम मौर्य (उपर्युक्त)* के निर्णय का अनुसरण आगे *देवेश चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (रिट-ए संख्या 589 वर्ष 2022)*, दिनांक 07.05.2022 में भी किया गया है।

8. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश सिंह ने प्रस्तुत किया कि चूंकि आक्षेपित आदेश हैदराबाद स्थित प्राधिकारियों द्वारा पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को वर्तमान याचिका पर विचार करने का अधिकारिता क्षेत्र प्राप्त नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह आपराधिक मामले को छिपाने तथा उसके संबंध में जानकारी न देने का मामला है और सत्यापन प्रपत्र में ही याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि यदि कोई जानकारी छिपाई जाती है अथवा प्रकट नहीं की जाती है, तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने प्रासंगिक जानकारी छिपाई। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।
9. प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिका में न तो सेवा समाप्ति के नोटिस को चुनौती दी गई है, न ही अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तथा न ही संबंधित प्राधिकारी द्वारा पारित सेवा-समाप्ति आदेश को चुनौती दी गई है; याचिकाकर्ता ने केवल पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है।

10. प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की भर्ती उसके स्थायीकरण तक अस्थायी आधार पर थी और तदनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1965 के अनुसार विधिवत् नोटिस दिए जाने के पश्चात् उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। अतः, 1965 की नियमावली में निर्धारित विधि का समुचित रूप से पालन किए जाने के पश्चात् याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित सेवा-समाप्ति आदेश में कोई अवैधता नहीं है। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात्, इस न्यायालय ने मामले के अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

12. अभिलेख से यह स्पष्ट है और पक्षकारों के मध्य यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 15.09.2001 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के समय याचिकाकर्ता नाबालिग था और इस प्रकार वह किशोर था। याचिकाकर्ता की भर्ती ग्रुप सेंटर, इलाहाबाद में हुई थी और तत्पश्चात् उसे प्रशिक्षण हेतु हैदराबाद तथा उसके बाद जम्मू एवं कश्मीर भेजा गया था। दिनांक 23.06.2004 को उप महानिरीक्षक, पुलिस, ग्रुप सेंटर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, हैदराबाद द्वारा सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया और तत्पश्चात् दिनांक 05.08.2004 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं दिनांक 30.07.2004 से समाप्त कर दी गईं। इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील भी दिनांक 27.02.2006 को निरस्त कर दी गई तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण भी दिनांक 27.04.2006 को निरस्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त किए जाने का एकमात्र आधार यह था कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित होने के तथ्य का प्रकटीकरण नहीं किया गया तथा उसे छिपाया गया।

13. किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 19 याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि से उत्पन्न अयोग्यता को समाप्त किए जाने का प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 21 किशोर के नाम के प्रकाशन पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान करती है तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियमावली, 2007 का नियम 99 विशेष रूप से अभिलेख को सात वर्ष तक सुरक्षित रखने तथा सात वर्ष की अवधि के पश्चात् उसे नष्ट किए जाने का प्रावधान करता है। अतः, शिवम मौर्य (उपर्युक्त) के मामले में, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के उपर्युक्त प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय की खंडपीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“14. उक्त अधिनियम एक कल्याणकारी विधान है। ऐसे कल्याणकारी विधान के सिद्धांतों को केवल इस अधिनियम की व्याख्या के प्रयोजनार्थ लागू किया जाना है। अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामले के लंबित होने के तथ्य को छिपाना किसी भी दृष्टि से प्रासंगिक नहीं था। विधि की अपेक्षा के अनुसार, किसी अपराध में दोषसिद्धि भी किशोर के लिए अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। किसी आपराधिक मामले में उसकी संलिप्तता से संबंधित मामले के अभिलेखों को निर्धारित अवधि के पश्चात् नष्ट कर दिया जाना है। विधायिका का आशय स्पष्ट है कि जहां तक किशोरों का संबंध है, उनके आपराधिक अभिलेख उनके जीवन में उनके मार्ग में बाधक नहीं बनने चाहिए। अतः, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



निरस्तीकरण विधि-विरुद्ध था। संबंधित प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता वर्ष 2000 के अधिनियम के प्रावधानों के लाभ का अधिकारी था। याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता का निरस्तीकरण वर्ष 2000 के अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के प्रतिकूल है। वर्ष 2000 के अधिनियम की धारा 19 किशोर को संरक्षण प्रदान करती है और उसकी दोषसिद्धि से जुड़ा कोई भी कलंक भी समाप्त कर दिया जाता है। वर्ष 2000 का अधिनियम किशोर को कारावास में रखने की परिकल्पना नहीं करता है, जिससे स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित होता है कि इसका आशय और उद्देश्य किशोर के लिए अनुशासित एवं सभ्य जीवन के द्वार बंद करना नहीं था। यह उसे अपने भविष्य के जीवन को सुधारने का अवसर प्रदान करता है।

15. अतः, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि संबंधित प्राधिकारी ने वर्ष 2000 के अधिनियम का लाभ अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को प्रदान न करके पूर्णतः त्रुटि की है, विशेष रूप से तब, जब उक्त अधिनियम में किसी किशोर के आपराधिक मामले में संलिप्त होने, विचारण किए जाने और/या दोषसिद्ध किए जाने की स्थिति से निपटने के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं।

अतः, हम अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को वर्ष 2000 के अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभ का विस्तार करते हैं।

14. उक्त निर्णय का अनुसरण इस न्यायालय द्वारा भारत संघ एवं 5 अन्य बनाम उपेंद्र चौहान (विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 332 वर्ष 2019), दिनांक 16.04.2019 में भी किया गया है

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और उपर्युक्त निर्णयों का इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा बार-बार अनुसरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, **अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य : (2016) 8 एससीसी 471** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भर्ती के समय आपराधिक मामले का प्रकटीकरण न किए जाने तथा उसका ऐसी भर्ती पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। उक्त निर्णय के पैरा 24, 36 एवं 38 को ध्यान में रखना प्रासंगिक है:-

“24. पुलिस आयुक्त बनाम संदीप कुमार [पुलिस आयुक्त बनाम संदीप कुमार, (2011) 4 एससीसी 644 : (2011) 2 एससीसी (क्रि.) 426 : (2011) 1 एससीसी (एल. एंड एस.) 734] के मामले में, इस न्यायालय ने उस मामले पर विचार किया, जिसमें आरक्षी के पद पर संदीप कुमार की अभ्यर्थिता इस आधार पर निरस्त कर दी गई थी कि उसने लगभग 20 वर्ष की आयु में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 325/34 के अंतर्गत आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता को छिपाया था। पैरा 9 में इस न्यायालय ने विक्टर ह्यूगो के उपन्यास ‘ले मिज़रेबल्स’ के पात्र ‘ज्यां वलज्यां’ का उल्लेख किया, जिसमें अपने भूखे परिवार के लिए रोटी चुराने जैसे छोटे अपराध के लिए ज्यां वलज्यां को जीवन भर चोर के रूप में कलंकित कर दिया गया था। इस न्यायालय ने मॉरिस बनाम क्राउन ऑफिस [मॉरिस बनाम क्राउन ऑफिस, (1970) 2 क्यू.बी. 114 : (1970) 2 डब्ल्यू.एल.आर. 792 (सी.ए.)] के निर्णय का भी संदर्भ दिया। प्रासंगिक अंश निम्नवत् उद्धृत किया जाता है : [संदीप कुमार का मामला, पुलिस आयुक्त बनाम संदीप कुमार, (2011) 4

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एससीसी 644 : (2011) 2 एससीसी (क्रि.) 426 : (2011) 1 एससीसी (एल. एंड एस.) 734, एससीसी पृष्ठ 645-647, पैरा 8-12]

8. हम दिल्ली उच्च न्यायालय [संदीप कुमार बनाम पुलिस आयुक्त, 2006 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 836 : (2006) 90 डीआरजे 707] के इस मत से आदरपूर्वक सहमत हैं कि उसकी अभ्यर्थिता का निरस्तीकरण अवैध था, किंतु हम इस मामले में अपना स्वयं का मत व्यक्त करना चाहते हैं। जब उक्त घटना हुई थी, उस समय प्रतिवादी की आयु लगभग 20 वर्ष रही होगी। उस आयु में युवा व्यक्ति प्रायः अविवेकपूर्ण कृत्य कर बैठते हैं और ऐसे अविवेकपूर्ण कृत्यों को प्रायः क्षमा किया जा सकता है। आखिरकार, युवा तो युवा ही होते हैं। उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अधिक आयु के व्यक्तियों के समान परिपक्वता के साथ व्यवहार करें। अतः हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि युवाओं द्वारा किए गए छोटे-मोटे अविवेकपूर्ण कृत्यों को क्षमा किया जाए, न कि उन्हें शेष जीवन के लिए अपराधी के रूप में कलंकित कर दिया जाए।

9. इस संबंध में, हम विक्टर ह्यूगो के उपन्यास 'ले मिज़रेबल्स' के पात्र 'ज्यां वलज्यां' का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें अपने भूखे परिवार के लिए रोटी चुराने जैसे छोटे अपराध के लिए ज्यां वलज्यां को जीवन भर चोर के रूप में कलंकित कर दिया गया था। आधुनिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जीवन भर अपराधी के रूप में कलंकित करने के बजाय उसका सुधार किया जाए।

10. इस संबंध में हम लॉर्ड डेनिंग द्वारा अपनी पुस्तक 'ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ' में उल्लिखित वेल्स के छात्रों के मामले का भी संदर्भ ले सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वेल्स के कुछ छात्र वेल्श भाषा के प्रति अत्यंत उत्साही थे और वे इस बात से क्षुब्ध थे कि रेडियो कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में प्रसारित किए जा रहे थे, वेल्श भाषा में नहीं। वे लंदन आए और उच्च न्यायालय में प्रवेश कर गए। उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया गया और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा तीन माह के कारावास का दंड सुनाया गया। उन्होंने अपील न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल की। अपील स्वीकार करते हुए लॉर्ड डेनिंग ने निम्नलिखित टिप्पणी की [मॉरिस बनाम क्राउन ऑफिस, (1970) 2 क्यू.बी. 114 : (1970) 2 डब्ल्यू.एल.आर. 792 (सी.ए.)] :-

“अब मैं श्री वॉटकिन पॉवेल के तीसरे तर्क पर आता हूँ। उनका कहना है कि सुनाई गई सजाएँ अत्यधिक थीं। मेरा विचार है कि जिस समय वे सजाएँ सुनाई गईं और उस समय जो परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, उन्हें देखते हुए वे अत्यधिक नहीं थीं। यहाँ एक ऐसे मामले में, जिसका उनसे कोई संबंध नहीं था, न्याय के संचालन में जानबूझकर हस्तक्षेप किया गया था। न्यायाधीश के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक था और प्रत्येक स्थान के सभी छात्रों को यह प्रदर्शित करना आवश्यक था कि इस प्रकार के कृत्य को सहन नहीं किया जा सकता। यदि छात्र चाहें तो उन उद्देश्यों के समर्थन में प्रदर्शन करें, जिनमें वे विश्वास रखते हैं। वे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जिस प्रकार उचित समझें, अपना विरोध प्रकट करें। किंतु उन्हें ऐसा वैधानिक साधनों से करना होगा, अवैधानिक साधनों से नहीं। यदि वे इस देश में न्याय के संचालन पर प्रहार करते हैं और मैं इंग्लैंड तथा वेल्स, दोनों की ओर से बोल रहा हूँ तो वे स्वयं समाज की जड़ों पर प्रहार करते हैं और उस व्यवस्था को नष्ट करते हैं, जो उनकी रक्षा करती है। यह केवल विधि और व्यवस्था के बनाए रखने से ही संभव है कि उन्हें छात्र होने तथा शांति से अध्ययन और जीवन बिताने का विशेषाधिकार प्राप्त है। अतः उन्हें विधि का समर्थन करना चाहिए, न कि उसे नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए।”

“लेकिन अब क्या किया जाना चाहिए? पिछले सप्ताह बुधवार को न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई सजाओं से विधि की प्रतिष्ठा कायम हो गई है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि विधि और व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है और उसे बनाए रखा जाएगा। किंतु इस अपील पर अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। यहां उपस्थित ये छात्र अब विधि की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष अपील की है और उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है। वे पहले ही एक सप्ताह कारावास में बिता चुके हैं। मेरा विचार है कि अब उन्हें और अधिक समय तक कारावास में रखना आवश्यक नहीं है। ये युवा साधारण अपराधी नहीं हैं। उनमें न तो हिंसा है, न बेईमानी और न ही कोई दुराचार। इसके विपरीत, उनमें ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जिनकी हमें सराहना करनी चाहिए। वे वेल्श भाषा के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते हैं। उन्हें इस पर गर्व होना उचित ही है। यह बाडों-कवियों और गायकों-की भाषा है, जो हमारी कठोर अंग्रेजी भाषा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की तुलना में कहीं अधिक मधुर है। उच्च प्राधिकारी के अनुसार, वेल्स में इसे अंग्रेजी भाषा के समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने जो किया, वह गलत था, बहुत गलत था विशेषकर इसलिए कि वे उस चरम सीमा तक चले गए, जिस तक वे गए। किंतु जब यह स्पष्ट हो चुका है, तब मेरा विचार है कि हम उन पर दया कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। हमें उन्हें अपने अध्ययन, अपने माता-पिता के पास वापस जाने और उस अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति देनी चाहिए, जिसे उन्होंने अत्यंत अनुचित ढंग से बाधित किया था।” (देखें मॉरिस बनाम क्राउन ऑफिस [मॉरिस बनाम क्राउन ऑफिस, (1970) 2 क्यू.बी. 114 : (1970) 2 डब्ल्यू.एल.आर. 792 (सी.ए.), क्यू.बी., पृष्ठ 125 सी.एच.])

“हमारी राय में, हमें भी वही विवेक प्रदर्शित करना चाहिए, जैसा कि लॉर्ड डेनिंग ने प्रदर्शित किया था।

11. जैसा कि ऊपर पहले ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है, युवा प्रायः अविवेकपूर्ण कृत्य कर बैठते हैं, जिन्हें प्रायः क्षमा कर दिया जाता है।

12. यह सत्य है कि आवेदन प्रपत्र में प्रतिवादी ने यह उल्लेख नहीं किया था कि वह भारतीय दंड संहिता की धाराओं 325/34 के अंतर्गत एक आपराधिक मामले में संलिप्त था। संभवतः उसने इस भय से इसका उल्लेख नहीं किया कि यदि वह ऐसा करता, तो वह स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाता। किसी भी स्थिति में, यह हत्या, डकैती या बलात्कार जैसे गंभीर अपराध की श्रेणी का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपराध नहीं था और इसलिए इस मामले में अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।”

इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जिस मामले में संदीप कुमार की आयु लगभग 20 वर्ष थी, उस समय की गई आपराधिक मामले से संबंधित जानकारी को छिपाने के प्रश्न पर विचार करते हुए यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वह युवा था और ऐसी आयु में व्यक्ति प्रायः अविवेकपूर्ण कृत्य कर बैठते हैं तथा ऐसे अविवेकपूर्ण कृत्यों को प्रायः क्षमा किया जा सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को जीवन भर अपराधी के रूप में कलंकित करने के बजाय उसका सुधार किया जाए। मॉरिस बनाम क्राउन ऑफिस [मॉरिस बनाम क्राउन ऑफिस, (1970) 2 क्यू.बी. 114 : (1970) 2 डब्ल्यू.एल.आर. 792 (सी.ए.)] के मामले में की गई टिप्पणियाँ यह थीं कि युवा साधारण अपराधी नहीं होते। उनमें न तो हिंसा होती है, न बेईमानी और न ही कोई दुराचार। वे वेल्श भाषा के संरक्षण का प्रयास कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने गलत किया था, किंतु हमें उन पर दया दिखानी चाहिए और उन्हें अपने अध्ययन तथा अपने माता-पिता के पास वापस जाने और उस अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति दी गई, जिसे उन्होंने अनुचित ढंग से बाधित किया था।

किस मापदंड को लागू किया जाना है, यह पद की प्रकृति पर निर्भर करेगा। उच्च पदों के लिए सभी सेवाओं में, न कि केवल वर्दीधारी सेवाओं में, अधिक कठोर मानदंड अपनाया जाएगा। निम्न पदों, जो संवेदनशील प्रकृति के नहीं हैं, के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पद, कर्तव्यों की प्रकृति तथा सेवा को ध्यान में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रखते हुए यह विचार किया जाना आवश्यक है कि जानकारी छिपाने का अभ्यर्थी की उपयुक्तता पर क्या प्रभाव पड़ता है। विभिन्न पहलुओं पर समुचित रूप से विचार करने के पश्चात् ही प्राधिकारियों को अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा।

हमने विभिन्न निर्णयों पर विचार किया है और यथासंभव उनकी व्याख्या करते हुए उनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत, हम अपने निष्कर्षों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं :-

38.1. किसी अभ्यर्थी द्वारा नियोक्ता को दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या गिरफ्तारी अथवा आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में दी गई जानकारी, चाहे वह सेवा में प्रवेश करने से पूर्व की हो अथवा सेवा में प्रवेश करने के पश्चात् की, सत्य होनी चाहिए और अपेक्षित जानकारी को छिपाना अथवा उसके संबंध में कोई गलत उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

38.2. गलत जानकारी दिए जाने के आधार पर सेवा समाप्त करने या अभ्यर्थिता निरस्त करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता, ऐसी जानकारी दिए जाने से संबंधित मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हों, पर विचार कर सकता है।

38.3. निर्णय लेते समय नियोक्ता कर्मचारी पर लागू होने वाले सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



38.4. यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता के संबंध में ऐसी जानकारी छिपाई गई हो या गलत जानकारी दी गई हो, जिसमें आवेदन प्रपत्र/सत्यापन प्रपत्र भरने से पहले ही दोषसिद्धि या दोषमुक्ति का निर्णय हो चुका था और बाद में यह तथ्य नियोक्ता के संज्ञान में आता है, तो मामले के अनुरूप निम्नलिखित में से कोई भी उचित उपाय अपनाया जा सकता है:-

38.4.1. ऐसे मामूली प्रकृति के मामले में, जिसमें दोषसिद्धि हुई हो, जैसे कम आयु में नारे लगाने के कारण या किसी छोटे अपराध के लिए हुई दोषसिद्धि, जिसके प्रकटीकरण से संबंधित पद के लिए पदधारी अयोग्य नहीं होता, नियोक्ता अपने विवेकानुसार, चूक को क्षमा करते हुए, ऐसे तथ्य को छिपाने या गलत जानकारी देने की अनदेखी कर सकता है।

38.4.2. जहाँ किसी ऐसे मामले में दोषसिद्धि हुई हो, जो मामूली प्रकृति का न हो, वहाँ नियोक्ता अभ्यर्थिता निरस्त कर सकता है अथवा कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त कर सकता है।

38.4.3. यदि किसी ऐसे मामले में, जिसमें नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति का अपराध शामिल हो, दोषमुक्ति का निर्णय पहले ही हो चुका हो, किंतु वह दोषमुक्ति तकनीकी आधार पर हुई हो और वह पूर्णतः दोषमुक्त किए जाने का मामला न हो, अथवा युक्तियुक्त संदेह का लाभ दिया गया हो, तो नियोक्ता संबंधित व्यक्ति के पूर्ववृत्त के संबंध में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सकता है और कर्मचारी की सेवा में निरंतरता के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है।

38.5. ऐसे मामले में, जहाँ कर्मचारी ने समाप्त हो चुके आपराधिक मामले के संबंध में सत्यतापूर्वक घोषणा की हो, वहाँ भी नियोक्ता को उसके पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है और अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने के लिए नियोक्ता को बाध्य नहीं किया जा सकता।

38.6. ऐसे मामले में, जहाँ मामूली प्रकृति के किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में चरित्र सत्यापन प्रपत्र में तथ्य का सत्यतापूर्वक उल्लेख किया गया हो, वहाँ मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर नियोक्ता अपने विवेकानुसार, ऐसे मामले के निर्णय के अधीन, अभ्यर्थी को नियुक्त कर सकता है।

38.7. ऐसे मामले में, जहाँ अनेक लंबित मामलों के संबंध में तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया हो, ऐसी गलत जानकारी स्वयं ही महत्वपूर्ण हो जाएगी और नियोक्ता अभ्यर्थिता निरस्त करने अथवा सेवाएँ समाप्त करने का उचित आदेश पारित कर सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना, जिसके विरुद्ध अनेक आपराधिक मामले लंबित थे, उचित नहीं हो सकता है।

38.8. यदि आपराधिक मामला लंबित था, किंतु प्रपत्र भरते समय अभ्यर्थी को उसके लंबित होने की जानकारी नहीं थी, तब भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति प्राधिकारी अपराध की गंभीरता पर विचार करने के पश्चात् निर्णय लेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



38.9. यदि कर्मचारी की सेवा में स्थायीकरण हो चुका है, तो सत्यापन प्रपत्र में तथ्य छिपाने अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर सेवा समाप्ति/सेवा से हटाने या बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पूर्व विभागीय जांच करना आवश्यक होगा।

38.10. तथ्यों को छिपाने या गलत जानकारी देने का निर्धारण करने के लिए अभिप्रमाणन/सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं। केवल वही जानकारी प्रकट की जानी आवश्यक है, जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना अपेक्षित था। यदि ऐसी कोई जानकारी, जो पूछी नहीं गई थी किंतु प्रासंगिक है, नियोक्ता के संज्ञान में आती है, तो उपयुक्तता के प्रश्न पर विचार करते समय उस पर वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किया जा सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में उस तथ्य को छिपाने या उसके संबंध में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, जिसके बारे में पूछा ही नहीं गया था।

38.11. किसी व्यक्ति को 'सप्रेसियो वेरी' (तथ्य को छिपाना) या 'सजेस्टियो फाल्सी' (असत्य तथ्य प्रस्तुत करना) का दोषी ठहराए जाने से पूर्व, यह तथ्य उसके ज्ञान में होना आवश्यक है।

15. इसी प्रकार, **यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम मेथु मेदा : (2022) 1 एससीसी 1** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

"13. 'सम्मानजनक दोषमुक्ति' की अभिव्यक्ति पर एस. समुथिरम [स्टेट बनाम एस. समुथिरम, (2013) 1 एससीसी 598 : (2013) 1 एससीसी (क्रि.) 566 : (2013) 1

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एससीसी (एल. एंड एस.) 229] के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक बनाम भोपाल सिंह पंचाल [भारतीय रिजर्व बैंक बनाम भोपाल सिंह पंचाल, (1994) 1 एससीसी 541 : 1994 एससीसी (एल. एंड एस.) 594] तथा आर. पी. कपूर [आर. पी. कपूर बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1964 एससी 787], राघव राजगोपालाचारी [स्टेट ऑफ असम बनाम राघव राजगोपालाचारी, 1967 एससीसी ऑनलाइन एससी 1 : (1972) 7 एसएलआर 44] के निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् विचार किया गया है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराने के लिए अपेक्षित प्रमाण का मानक तथा अनुशासनिक कार्यवाही के माध्यम से की जाने वाली जांच का मानक पूर्णतः भिन्न होता है। आपराधिक मामले में अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। यदि अभियोजन पक्ष महत्वपूर्ण साक्षियों की जांच के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफल रहता है अथवा साक्षी पक्षद्रोही हो जाते हैं, तो ऐसी दोषमुक्ति संदेह का लाभ दिए जाने की श्रेणी में आएगी और अभियुक्त को आपराधिक न्यायालय द्वारा सम्मानजनक रूप से दोषमुक्त किया गया व्यक्ति नहीं माना जा सकता। जबकि विभागीय कार्यवाही के मामले में अपराध/दोष संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। अतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि संदेह का लाभ प्रदान करते हुए की गई दोषमुक्ति से स्वतः अभ्यर्थी की सेवा में पुनर्बहाली नहीं होगी, जब तक कि संबंधित नियम ऐसा प्रावधान न करते हों।”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14.हाल ही में, इस न्यायालय ने स्टेट (यू.टी. ऑफ चंडीगढ़) बनाम प्रदीप कुमार [स्टेट (यू.टी. ऑफ चंडीगढ़) बनाम प्रदीप कुमार, (2018) 1 एससीसी 797 : (2018) 1 एससीसी (क्रि.) 504 : (2018) 1 एससीसी (एल. एंड एस.) 149] के मामले में, एस. समुथिरम [स्टेट बनाम एस. समुथिरम, (2013) 1 एससीसी 598 : (2013) 1 एससीसी (क्रि.) 566 : (2013) 1 एससीसी (एल. एंड एस.) 229] के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि किसी आपराधिक मामले में दोषमुक्ति संबंधित पद पर अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी व्यक्ति की दोषमुक्ति या उन्मोचन से सदैव यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसे झूठे रूप से फंसाया गया था अथवा उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं था। उक्त प्रश्न पर मेहर सिंह [स्टेट बनाम मेहर सिंह, (2013) 7 एससीसी 685 : (2013) 3 एससीसी (क्रि.) 669 : (2013) 2 एससीसी (एल. एंड एस.) 910] के मामले में भी विचार किया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रमुख साक्षियों की जांच न किए जाने के कारण हुई दोषमुक्ति सम्मानजनक दोषमुक्ति नहीं है, बल्कि वास्तव में यह संदेह का लाभ प्रदान किए जाने के कारण हुई दोषमुक्ति है। न्यायालय ने कहा कि दोषमुक्ति की प्रकृति का विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि दोषमुक्ति सम्मानजनक नहीं है, तो अभ्यर्थी सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं हैं और ऐसे अभ्यर्थियों से बचा जाना चाहिए। संबंधित प्रासंगिक तथ्यों तथा अपराध की प्रकृति, उसमें व्यक्ति की संलिप्तता की सीमा और भविष्य में ऐसे व्यक्ति द्वारा इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होने की प्रवृत्ति, स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किए जाने वाले प्रासंगिक पहलू हैं। स्क्रीनिंग समिति इन सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15.वर्तमान मामले में, प्रतिवादी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 347/327/323/506 भाग-II एवं 364-क के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के आरोप विरचित किए गए थे। दिनांक 19.03.2010 के निर्णय द्वारा झाबुआ के सत्र न्यायाधीश ने विचारण के पश्चात् उसे दोषमुक्त कर दिया, क्योंकि निलेश का अपहरण करने वाले व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, दोनों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया था। अभियोजन के अनुसार, परिवादी को प्रतिवादी द्वारा पीटा गया था और उक्त तथ्य को चिकित्सक के साक्ष्य से समर्थन प्राप्त हुआ था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि समिति का मत था कि वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रतिवादी की दोषमुक्ति को “सम्मानजनक दोषमुक्ति” नहीं कहा जा सकता और उक्त दोषमुक्ति को संदेह का लाभ प्रदान किए जाने के कारण हुई दोषमुक्ति माना जा सकता है।

21.जैसा कि ऊपर विवेचित किया गया है, विधि सुस्थापित है। यदि किसी व्यक्ति को नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के आरोप से संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया गया हो अथवा साक्षियों के पक्षद्रोही हो जाने के कारण उसे दोषमुक्त किया गया हो, तो इससे उसे स्वतः रोजगार का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, विशेष रूप से अनुशासित बल में। नियोक्ता को स्क्रीनिंग समिति द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार उसकी अभ्यर्थिता पर विचार करने का अधिकार है। केवल आरोपित अपराधों का प्रकटीकरण तथा विचारण के परिणाम का उल्लेख कर देना पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में नियोक्ता को अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय की एकल पीठ तथा खंडपीठ,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दोनों ने ऊपर विवेचित उक्त विधिक स्थिति पर आक्षेपित आदेशों [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेथु मेदा, 2013 एससीसी ऑनलाइन एम.पी. 10701], [मेथु मेदा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, रिट याचिका संख्या 3897 वर्ष 2013, आदेश दिनांक 27.09.2013 (एम.पी.)] में विचार नहीं किया है। अतः उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा मेथु मेदा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [मेथु मेदा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, रिट याचिका संख्या 3897 वर्ष 2013, आदेश दिनांक 27.09.2013 (एम.पी.)] में तथा खंडपीठ द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेथु मेदा [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेथु मेदा, 2013 एससीसी ऑनलाइन एम.पी. 10701] में पारित आक्षेपित आदेश, जैसा कि ऊपर विवेचित किया गया है, विधि की दृष्टि से संधारणीय नहीं हैं।

22.तदनुसार, यह अपील एतद्वारा स्वीकार की जाती है और आक्षेपित आदेशों [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेथु मेदा, 2013 एससीसी ऑनलाइन एम.पी. 10701], [मेथु मेदा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, रिट याचिका संख्या 3897 वर्ष 2013, आदेश दिनांक 27.09.2013 (एम.पी.)] को निरस्त किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

16.उपर्युक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि कम आयु के अभ्यर्थियों द्वारा सत्यापन प्रपत्र भरते समय आपराधिक मामले के लंबित होने का मात्र प्रकटीकरण न किया जाना उन्हें स्वतः सेवा के लिए अयोग्य नहीं बनाता है और नियुक्ति निरस्त करने से पूर्व नियोक्ता द्वारा मामले से संबंधित सभी परिणामी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। ऐसे मामले में, जहाँ आपराधिक मामला दर्ज किए जाने के समय अभ्यर्थी नाबालिग था और इस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- प्रकार किशोर था, वहाँ ऐसे मामले में हुई दोषसिद्धि भी उस किशोर के वयस्क हो जाने के पश्चात् लोक सेवा में नियुक्ति के लिए कोई अयोग्यता उत्पन्न नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त, यदि बाद के चरण में नियोक्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि कोई आपराधिक मामला लंबित था, तो प्राधिकारी का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह यह जांच करे कि ऐसे आपराधिक मामले का लंबित होना अथवा उसमें हुई दोषसिद्धि या दोषमुक्ति, सरकार की नीति अथवा नियमों के अनुसार, कोई अयोग्यता उत्पन्न करती है अथवा नहीं। जब तक इस संबंध में यह निर्धारण नहीं कर लिया जाता, तब तक नियोक्ता को ऐसे अभ्यर्थियों को सेवा से बर्खास्त करने के लिए जल्दबाजी में कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।
17. ऐसी स्थिति में, चूंकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किए जाने के समय याचिकाकर्ता किशोर था, अतः उक्त मामले का किशोर के विरुद्ध पंजीकरण उसे ऐसी कोई अयोग्यता प्रदान नहीं करेगा, जिससे वह तत्पश्चात् गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने से वंचित हो जाए।
18. यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 28.02.2005 के निर्णय एवं आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को उक्त आपराधिक मामले में पहले ही दोषमुक्त/उन्मोचित कर दिया गया था, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त की गई थीं। उक्त तथ्य याचिकाकर्ता द्वारा निर्णय की प्रति के साथ पुनरीक्षण प्राधिकारी के संज्ञान में भी लाया गया था, किंतु पुनरीक्षण प्राधिकारी उक्त तथ्य पर विचार करने में विफल रहा। ऐसी स्थिति में, दोषमुक्ति के प्रभाव तथा याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क पर विचार किए बिना पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि की दृष्टि से संधारणीय नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



19. ऐसी स्थिति में, चूंकि याचिकाकर्ता को पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है और उक्त तथ्य पुनरीक्षण प्राधिकारी के संज्ञान में भी लाया गया था, फिर भी पुनरीक्षण प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता की उक्त दोषमुक्ति के प्रभाव पर विचार नहीं किया। अन्यथा भी, किसी आपराधिक मामले में किशोर की दोषसिद्धि की स्थिति में भी, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में, ऐसी दोषसिद्धि को बाद की सरकारी नियुक्तियों के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अयोग्यता नहीं माना जा सकता। अतः किशोर के विरुद्ध किसी आपराधिक मामले का लंबित होना, उसमें उसकी दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति, सरकारी सेवा के संबंध में किसी अयोग्यता को उत्पन्न नहीं करेगी।

20. ऐसी स्थिति में, दिनांक 23.06.2004 का नोटिस, दिनांक 05.08.2004 का सेवा-समाप्ति आदेश, दिनांक 27.02.2006 का अपीलीय आदेश तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 27.04.2006 का आदेश एतद्वारा **निरस्त** किए जाते हैं। तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है। तथापि, चूंकि याचिकाकर्ता सेवा-समाप्ति तथा इस न्यायालय के समक्ष उक्त मामले के लगभग 20 वर्षों तक लंबित रहने के कारण सेवा में कार्य नहीं कर सका, अतः ऐसी स्थिति में वह केवल 25 प्रतिशत पिछला वेतन पाने का हकदार होगा।

(न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता)

दिनांक 10 अगस्त, 2026

शुभम आर्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”